अध्याय 5

छावनी को साफ़ रखना

गिनती 5 और 6 में कनान की ओर कूच करने की इस्राएलियों की तैयारी का ध्यान केंद्र शारीरिक भाव - लोगों की गिनती करना, छावनी की व्यवस्था देखना से हटकर याजकों और लेवियों के कार्य की ओर जाता है - आत्मिक भाव की ओर: छावनी से पाप और अशुद्धता को दूर करने की ओर जाता है।

जब इस्राएली लोग सीनै से निकलने की तैयारी करने लगे तब उनके लिए यह आवश्यक था कि वे स्वयं को उन सब बातों से शुद्ध करें जो उन्हें अशुद्ध कर सकती थीं। परमेश्वर की सेना के रूप में उसके लोगों के लिए आवश्यक था कि वे उनके सामने आने वाले युद्धों को जीतने से पहले व्यवहारिक और वास्तविक अशुद्धताओं से स्वयं को शुद्ध करें। अध्याय 5 इस्राएल को पुकार लगाता है कि वह पवित्र बना रहे और उसे यह विवरण दिया कि किस प्रकार परम्परागत अशुद्धता को दूर किया जाना चाहिए और पाप के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए, फिर चाहे वह वास्तविक हो या संदिग्ध हो। अध्याय 6 भी यही बताते हुए कि एक नाज़ीर व्यक्ति को उससे सम्बन्धित नियम देते हुए शुद्धता की विषय वस्तु के साथ आगे बढ़ता है जो परमेश्वर के सब लोगों में शुद्धता के बहुत ही कठिन माँगों का पालन करता था।

विधिपूर्ण अशुद्धता को दूर करना (5:1-4)

[1]फिर यहोवा ने मूसा से कहा, [2]"इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को, और जितनों के प्रमेह हो, और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हों, उन सभों को छावनी से निकाल दें; [3]ऐसों को, चाहे पुरुष हों चाहे स्त्री, छावनी से निकालकर बाहर कर दें, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी, जिसके बीच मैं निवास करता हूँ, उनके कारण अशुद्ध हो जाए।" [4]और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, अर्थात् ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया; जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था इस्राएलियों ने वैसा ही किया।

आयतें 1-3. यहोवा ने मूसा से कहा कि वह उन सब लोगों को **छावनी से निकाल दे** जो अशुद्ध हों। आयत 2 में उसने **चाहे पुरुष हों चाहे स्त्री**, उनके लिए लागू होने वाले नियमों के साथ तीन विशेष समूहों के बारे में बताया:

1. **सब कोढ़ी।** पुराना नियम इब्रानी शब्द צָרַעַת (*सारा'अथ*) का प्रयोग करता है, और किसी प्रकार के चर्म रोग के लिए "कोढ़" का अनुवाद करता है।
2. **जितनों के प्रमेह हो।** इस विवरण में पुरुष के शुक्राणु सम्बन्धी स्खलन और महिलाओं की माहवारी के समय को शामिल किया गया है परन्तु यह इसी के साथ सीमित नहीं है (देखें लैव्य. 15)।
3. **जितने लोथ के कारण अशुद्ध हों।** यह भाषा उन लोगों की ओर संकेत करती है जो किसी लोथ के साथ शारीरिक सम्पर्क के कारण अशुद्ध हो गए हों।

अशुद्ध होने का एक चौथा कारण, जिसके बारे में लैव्यव्यवस्था में कहा गया वह था किसी अशुद्ध पशु का माँस खाना या उसके सम्पर्क में आना।

इन लोगों को **छावनी से बाहर** निकालने का कारण यह था कि छावनी को अशुद्ध होने से बचाया जा सके क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, "**जिसके बीच मैं निवास करता हूँ।**" लोग एक "पवित्र जाति" में सम्मिलित होते थे (निर्गमन 19:6) क्योंकि निवासस्थान में परमेश्वर उनके बीच में रहता था। परमेश्वर की उपस्थिति की पवित्रता को दूषित करने के लिए किसी भी अशुद्धता को स्वीकृति नहीं दी जा सकती थी।[1]

यहाँ पर ये निर्देश इसलिए दिए गए कि लैव्यव्यवस्था 11-15 में पाए जाने वाली पहले की व्यवस्था के साथ मिलान किया जा सके। उन अध्यायों में अशुद्धता को परिभाषित किया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार किसी व्यक्ति के विषय में लोगों के लिए आवश्यक है कि वे अशुद्धि की समस्या के साथ व्यवहार करें। किसी अशुद्ध व्यक्ति को छावनी से बाहर कर दिए जाने के विषय में गिनती 5 सूचना में और जोड़ प्रदान करता है। यह निष्कासन प्रायः अस्थायी होता था। जैसे ही उस समस्या पर जय प्राप्त कर ली जाती थी या शुद्ध होने का समय पूरा कर लिया जाता वैसी ही वह व्यक्ति फिर से मण्डली में शामिल हो सकता था। असाध्य कोढ़ की दशा में यह निष्कासन स्थायी होता था।

5:1-3 में देखे जाने वाली अशुद्धता के विषय में एक प्राथमिक प्रश्न यह है कि "जिस प्रकार सूची प्रदान की गई अर्थात रोगी होना शारीरिक द्रव पदार्थों का रिसाव होना और किसी मृत शरीर को छूना इन्हें अशुद्धता का कारण क्यों माना जाए?" यह विशेष रूप से हैरान कर देने के समान है क्योंकि (a) यहाँ पर अशुद्धता के प्रकार नैतिक रूप से या आचरण के अनुसार गलत दिखाई नहीं देते और (b) ये आवश्यक रूप से अथवा सामान्य रूप से स्वयं के चुनाव करने से उत्पन्न होते हैं।

इस प्रश्न का एक उत्तर यह है कि यह पद नैतिक अशुद्धता के बारे में नहीं है परन्तु विभिन्न विधियों से सम्बन्धित अशुद्धता के बारे में है। नैतिक रूप से अशुद्ध होने में किसी प्रकार से कोई पाप शामिल नहीं था (हालांकि अगर कोई अशुद्ध व्यक्ति किसी पवित्र व्यक्ति के सम्पर्क में आता था तो वह इस प्रकार पापी ठहरता था)।

ये विशेष परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति को अशुद्ध क्यों बताती थी इसके बारे में हम सुनिश्चय नहीं कर सकते। परमेश्वर ने इसके लिए कोई उत्तर उपलब्ध नहीं करवाया परन्तु एक सम्भावना देखी जा सकती है। मनुष्य की साधारण अथवा सामान्य स्थिति शुद्ध है। यहाँ पर बताई गई तीन बातें - बीमारी, किसी द्रव पदार्थ का निकलना और मृत्यु - साधारण या सामान्य नहीं हैं; इनका अनुभव अधिकतर लोगों के द्वारा अधिकतर समय में नहीं किया जाता। साथ ही बीमारी और मृत्यु (और शायद शारीरिक द्रव पदार्थों के निकलने के समय के बारे में) मनुष्य की स्थिति में एक बिगाड़ का सुझाव देते हैं। ये मानवजाति के लिए एक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसका वर्गीकरण पुराना नियम में "अशुद्ध" के रूप में किया गया है।

आयत 4. यह पाठ्य प्रमाणित करता है कि **इस्राएलियों ने** वैसा ही किया जिस प्रकार यहोवा ने आज्ञा दी थी और जो लोग अशुद्ध थे उन्हें छावनी से **निकालकर बाहर कर दिया। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था इस्राएलियों ने वैसा ही किया।**

दोष की क्षतिपूर्ति करना (5:5-10)

5फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 6"इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे, और वह प्राणी दोषी हो, 7तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले; और पूरी क्षतिपूर्ति में पाँचवाँ अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे, जिसके विषय दोषी हुआ हो। 8परन्तु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुम्बी न हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो, और वह उस प्रायश्चितवाले मेढ़े से अधिक हो जिससे उसके लिये प्रायश्चित किया जाए। 9और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएँ इस्राएली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाएँ, वे उसी की हों; 10सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएँ उसी की ठहरें; कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे।"

आयतें 5-10. बाहरी विधि सम्बन्धी अशुद्धताओं से (5:1-4) आन्तरिक अशुद्धता (5:5-10) की स्थिति में एक अन्तर प्रदान किया गया जो छावनी की पवित्रता के लिए भी एक चेतावनी थी। एक इस्राएली जब दूसरे इस्राएली व्यक्ति के विरुद्ध पाप करे तब उन्हें क्या करना चाहिए इसके बारे में परमेश्वर ने निर्देश दिए। इस प्रकार का पाप मात्र अप्रसन्न व्यक्ति के विरोध में नहीं था; यह **यहोवा का विश्वासघात करने** के समान भी था (5:6)। अपने पाप की क्षमा पाने के लिए गलती करने वाले व्यक्ति को अपना पाप मानना होता था और फिर **पूरी क्षतिपूर्ति में पाँचवाँ अंश** बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को देना होता था जिसके विषय में वह **दोषी होता था** (5:7; देखें लैव्य. 6:5) और यह प्रायश्चित के लिए आवश्यक बलिदान के अतिरिक्त करना होता था (5:8)। जिस व्यक्ति का दोष था वह अगर उपलब्ध नहीं हो - हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी हो - तब इसका अर्थ यह

था कि उसके निकट **कुटुम्बी** को क्षतिपूर्ति दे दी जाए। फिर भी अगर उसका कोई निकट कुटुम्बी नहीं हो तब उस दोष का बदला **यहोवा को भर दिया जाना था कि वह याजक का हो** (5:8)। यह अनुच्छेद इस बात के साथ समाप्त होता है कि **याजक[कों]** के पास लाई गई **भेंटें** उन्हीं की हों (5:9, 10)। इस्राएली लोग परमेश्वर के लोग बन सकें इसके लिए यह आवश्यक था कि लोगों के पापों के विषय में ध्यान रखा जाए।

सन्देहपूर्ण व्यभिचार से व्यवहार करना (5:11-31)

[11]फिर यहोवा ने मूसा से कहा, [12]"इस्राएलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उसका विश्वासघात करे, [13]और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परन्तु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो, और वह अशुद्ध हो गई, परन्तु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो, और न वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो; [14]और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात् वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो; या उसके मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात् वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परन्तु वह अशुद्ध न हुई हो; [15]तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए, और उसके लिये एपा का दसवाँ अंश जौ का मैदा चढ़ावा करके ले आए; परन्तु उस पर तेल न डाले, न लोबान रखे, क्योंकि वह जलनवाला और स्मरण दिलानेवाला, अर्थात् अधर्म का स्मरण करानेवाला अन्नबलि होगा।" [16]तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे; [17]और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले, और निवास-स्थान की भूमि पर की धूल में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। [18]तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके उसके सिर के बाल बिखराए, और स्मरण दिलानेवाले अन्नबलि को जो जलनवाला है, उसके हाथों पर धर दे। और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिये रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। [19]तब याजक स्त्री को शपथ धरवाकर कहे, कि यदि किसी पुरुष ने तुझ से कुकर्म न किया हो, और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिरके अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो शाप का कारण होता है बची रहे। [20]पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिरके अशुद्ध हुई हो, और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझ से प्रसंग किया हो तो [21](और याजक उसे शाप देनेवाली शपथ धराकर कहे,) यहोवा तेरी जाँघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए, और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करें; [22]अर्थात् वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए, और तेरी जाँघ को सड़ा दे। तब वह स्त्री कहे, "आमीन, आमीन।" [23]तब याजक शाप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़वे जल से मिटाके, [24]उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। [25]और याजक स्त्री के हाथ में से जलनवाले अन्नबलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुँचाए; [26]और याजक उस अन्नबलि में से उसका स्मरण दिलानेवाला भाग, अर्थात्

मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए, और इसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए। [27]और जब वह उसे वह जल पिला चुके, तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा, और उसका पेट फूलेगा, और उसकी जाँघ सड़ जाएगी, और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच शापित होगा। [28]पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो, तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। [29]"जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिरके अशुद्ध हो, [30]चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे; तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ा कर दे, और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। [31]तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा, और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी।"

अगर किसी पति को व्यभिचार का सन्देह हो तब क्या किया जाना चाहिए था? छावनी में इस प्रकार के मामले का न्याय करने की प्रक्रिया को विस्तृत विवरण के साथ समझाया गया। जब अन्य स्थान पर व्यवस्था यह सिखाती थी कि किसी व्यभिचारिणी को मार डाला जाए तब इस प्रकार के तरीके की आवश्यकता क्यों थी (लैव्य. 20:10)? इसका उत्तर "अनिश्चित" शब्द के साथ है। इसका अर्थ यह है कि यह पाप मात्र सन्देह से भरा हुआ था (5:13)।

इस्राएलियों को यह जानकारी थी कि व्यभिचार एक पाप है और इस पाप में पाए जाने वाले व्यक्ति को मृत्यु दी जाती थी। फिर भी, जब तक विभिन्न तथ्यों को बिना किसी सन्देह के जाना न जाए तब तक मृत्यदण्ड की सज़ा उपयुक्त नहीं थी। किसी महिला पर व्यभिचारिणी होने का दोष लगाने के लिए सन्देह पर्याप्त नहीं था; इसके लिए साक्ष्यों की आवश्यकता होती थी। व्यवस्था के अनुसार किसी व्यक्ति को मृत्युदण्ड का दोषी पाए जाने से पहले दो या तीन गवाहों की आवश्यकता थी (व्यव. 17:6; 19:15; देखें मत्ती 18:16; 2 कुरि. 13:1)। अगर किसी महिला के व्यभिचार करने के बारे में पर्याप्त साक्ष्य नहीं होते थे तब यहाँ बताई गई प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता था।

व्यभिचार के सम्बन्ध में यह अवैध था कि एक व्यक्ति को दण्ड दे दिया जाए और उसके दूसरे साथी को छोड़ दिया जाए। व्यवस्थाविवरण 22:22 ने यह आज्ञा दी, "यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएँ।" व्यभिचार में पाई गई एक महिला को यीशु के पास लाने पर उसे दण्ड देने से मना करने का एक कारण यह नियम सुझाता है: वह पुरुष उसके साथ लाया नहीं गया था (यूहन्ना 8:1-11)।

आयतें 11-14. यहाँ पर बताई प्रक्रिया के अनुसार उस स्थिति में करना था जब किसी **मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उसका विश्वासघात करे** (परन्तु **यह बात उसके पति से छिपी हो** और खुली न हो, **न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी** हो, और न **वह कुकर्म करते पकड़ी गई** हो) और वह उस पर सन्देह करे (क्योंकि **उसके**

मन में जलन उत्पन्न हो)। ऐसा हो सकता है कि वास्तव में उसने अपने पति के प्रति विश्वासघात नहीं किया हो; फिर भी वह उस पर सन्देह कर रहा हो। उसने **स्वयं को अशुद्ध किया** है या नहीं यह निश्चित करने के लिए परमेश्वर ने यह तरीका उपलब्ध करवाया।

आयत 15. यह आवश्यक था कि वह पुरुष बताई गई **बलि** के साथ **अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए**। चढ़ावे में **एपा का दसवाँ अंश जौ का मैदा था, जिस पर तेल या लोबान** नहीं होना चाहिए था। यह आवश्यकता किसी अत्यन्त दरिद्र व्यक्ति की पापबलि के समान थी जो बिना तेल और लोबान डाले हुए "एपा का दसवाँ भाग मैदा" हो (लैव्य. 5:11)। गेहूँ की तुलना में "जौ" एक रूखा अनाज है। यह खरीदने में भी सस्ता था (प्रका. 6:6) और प्रायः दरिद्र लोगों के द्वारा उपयोग में लिया जाता था (रूत 2:17; 2 राजा 4:42; यूहन्ना 6:9, 13)। गिनती 5 में दिया गया बलिदान **जलनवाला और स्मरण दिलानेवाला, अर्थात् अधर्म का स्मरण करानेवाला अन्नबलि है**।

आयत 16. तब याजक **उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करता था**। यह विधि सम्भावित रुप से निवासस्थान के सामने आँगन में किसी स्थान पर पूरी की जाती थी। निवासस्थान (तम्बू) में प्रवेश करने की स्वीकृति मात्र याजकों को थी।

आयतें 17, 18. याजक को **पवित्र जल** काम में लेना होता था जो उपयुक्त रूप से निवासस्थान के सामने रखी हौदी से आता था (निर्गमन 30:18), **निवास-स्थान की भूमि पर की धूल** में से कुछ लेना होता था जिससे **कड़वा जल** तैयार किया जा सके **जो शाप लगाने का कारण** हो। उस जल को **मिट्टी के पात्र में** डालना होता था और "धूल" को **उस जल में डालना** होता था। सम्भावित रूप से "कड़वा जल" अपने नाम के अनुसार नहीं था परन्तु वह दोषी व्यक्ति पर शाप लाता था।

उस स्त्री को याजक के निर्देशों का पालन करते हुए **यहोवा के सामने खड़ा होकर अपने सिर के बाल बिखराने** होते थे। तब **याजक स्मरण दिलानेवाले अन्नबलि को उसके हाथों पर धर देता था**। यह **जलनवाला अन्नबलि** था। साथ ही याजक अपने हाथों में "कड़वा जल लिये रहता था जो शाप लगाने का कारण" होता था। प्रत्यक्ष रूप से किसी स्त्री के द्वारा अपने सिर के बाल "बिखराए" रहना असामान्य बात थी। इस विधि के इस पहलू का महत्व अस्पष्ट है। किसी व्यक्ति के द्वारा अपने बालों को नहीं सँवारना या उन्हें बिखराए रहना शोक को या कलंक को बताता था (लैव्य. 10:6; 13:45; 21:10)। इस सन्दर्भ में यह सम्भावित रूप से न्याय के लिए उस स्त्री के खुलेपन को प्रस्तुत करता था; अथवा ऐसा हो सकता है कि यह उसकी लज्जाजनक स्थिति की ओर संकेत कर रहा हो।

आयतें 19-22. तब **याजक** स्त्री को शपथ धरवाता था जिससे उस शाप की स्थितियों के बारे में बता सके। सकारात्मक पक्ष में उसे उस स्त्री से यह कहना होता था, "**यदि किसी पुरुष ने तुझ से कुकर्म न किया हो, और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिरके अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो शाप का कारण होता है बची रहे।**" अन्य शब्दों में, अगर वह स्त्री निर्दोष होती थी तो उसे उससे

कोई हानि नहीं होती थी। नकारात्मक पक्ष कि ओर उसे कहना होता था, **"पर यदि तू ... अशुद्ध हुई हो, और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझ से प्रसंग किया हो तो ... लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करें।"** अगर स्त्री दोषी होती थी तो वह परमेश्वर की ओर से दण्ड के रूप में शाप से ग्रसित हो जाती थी।

इस विधि के समय **याजक** के लिए आवश्यक था कि वह **उसे शाप देनेवाली शपथ धराए** (5:21)। NASB में ये शब्द उपवाक्य के रुप में हैं। उपवाक्य कथन आयत 5:19 के विचार को दोहराता है। इस प्रकार का दोहराव बल देने के लिए प्रयोग में लिया जाता था और यह इब्रानी गद्य की विशेषता है। स्त्री को यह शपथ लेनी होती थी कि वह विश्वासघाती नहीं रही है और "**आमीन, आमीन**" कहते हुए याजक के शब्दों के साथ अपनी स्वीकृति देनी होती थी। "आमीन" का अर्थ है "ऐसा ही हो।" इसका दोहराव उस शपथ को बल देता था। ऊपरी तौर पर उस पूरी विधि में मात्र इसी स्थान में स्त्री को बोलना होता था।

इसके बाद, अगर वह स्त्री अपने पति के प्रति विश्वासयोग्य होती थी तो उस पर उस जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अगर वह विश्वासघाती होती थी तो वह जल उसकी **अंतड़ियों में जाकर उसके पेट को फुला देता था और** [उसकी] **जाँघ को सड़ा देता था**।

आयत 23. शाप के ये शब्द **याजक** को **पुस्तक में लिखने** होते थे। फिर इसके बाद वह उन्हें **कड़वे जल से मिटाता** था। याजक के कहे गए शब्दों को एक पुस्तक में अर्थात उपयुक्त रुप से चमड़े के टुकड़े पर उसके द्वारा लिखे जाने के द्वारा मज़बूत किया जाता था। कालिख या काजल, थोड़ा जल और गोंद की राल से स्याही तैयार की जाती थी और ये सारी सामग्री सीनै प्रायद्वीप से प्राप्त हो जाती थी। इस मिश्रण को पुस्तक से पानी के द्वारा आसानी से मिटाया जा सकता था।

आयतें 24-26. इसके बाद **याजक स्त्री के हाथ में से जलनवाले अन्नबलि को लेता** था। उसे **उस अन्नबलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुँचाना होता था। अन्नबलि में से उसका स्मरण दिलानेवाला भाग, अर्थात् मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाना होता था।** इसके बाद **स्त्री** पर दबाव डाला जाता था कि **वह कड़वा जल पीए**। यह आवश्यक था जिससे देखा जा सके कि वह **जल जो शाप का कारण होता है** वह उस स्त्री के पेट में जाकर **कड़वा हो जाएगा** या नहीं।

कुछ लोग इस प्रक्रिया में जादू और अन्धविश्वास के तत्वों को देखते हैं और/या विश्वास करते हैं कि प्राचीन निकट पूर्व और किसी अन्य स्थान में अन्य लोगों के द्वारा प्रयोग में ली गई कठिन परीक्षाओं से यह विधि चलन में आई।[2] निस्संदेह, इस प्रक्रिया और अन्यजातियों के अभ्यासों के मध्य समान अन्तर देखे जा सकते हैं। फिर भी अन्य लोगों की विधि और इस विधि के मध्य समानता के सम्बन्ध में अन्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण रूप से देखे जा सकते हैं।

एक अन्तर यह है कि गिनती 5 में दी गई परीक्षा मात्र एक परीक्षा थी न कि कोई दण्ड। स्त्री कुछ ऐसा अनुभव नहीं करती थी जो शारीरिक रूप से हानिकारक हो; जो वह पीती थी वह विषैला पदार्थ नहीं था।[3] यहाँ पर वास्तव में एक मुख्य अन्तर यह है कि इस्राएली प्रक्रिया में परमेश्वर शामिल था। पाठ्य चार बार कहता

है कि यह कार्य "यहोवा के सामने" (5:16, 18, 25, 30) पूरा किया जाता था। वहाँ लाई गई स्त्री को "यहोवा के नाम से" शपथ लेनी होती थी कि अगर उसने व्यभिचार किया है तो यह उसके लिए शाप का कारण रहे (5:21)। "पवित्र जल" को काम में लिया जाता था; निवास-स्थान, परमेश्वर के निवास की भूमि पर की धूल **काम** में ली जाती थी। इस विधि की देखरेख करने वाला याजक परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन होता था और "जलनवाले अन्नबलि" को (5:15) यहोवा के आगे अर्पित किया जाता था। इसमें किसी प्रकार का जादू या ईश्वरों अथवा अदृश्य ताकतों की हेरफेर शामिल नहीं थी; और न ही यह विधि मात्र अन्धविश्वास से ली गई थी। अगर यह विधि अन्धविश्वास को प्रकट करती है तो इसका अर्थ है कि व्यवस्था के द्वारा माँग की गई अन्य विधियों के साथ भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति यह विश्वास करता है कि पुराना नियम मौखिक रूप से प्रेरित वचन है वह इस प्रकार के निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करेगा। इसके स्थान पर इस विधि की माँग प्रभु परमेश्वर की ओर से थी और इसके परिणाम उसी के द्वारा ठहराए हुए थे। इस परीक्षा के पीछे का विचार यह है कि जैसा वहाँ पर कोई गवाह नहीं था इसलिए कोई भी मानवीय परीक्षा सटीकता से वहाँ पर लाई गई स्त्री के दोष या उसके निर्दोष होने का निश्चय नहीं कर सकती थी।; इस कारण वह इस परीक्षा के अन्तर्गत थी जिसमें स्वयं परमेश्वर निर्णय देता था।

परमेश्वर ने इस माँग के कारणों को प्रकट नहीं किया। हम मात्र यही कह सकते हैं कि व्यवस्था यह माँग करती थी कि कम से कम एक अन्य उदाहरण में जिस व्यक्ति पर अपराध का सन्देह होता था उसको "यहोवा के आगे" शपथ लेनी होती थी (निर्गमन 22:11)। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के आगे शपथ लेता था तो वह अप्रत्यक्ष रूप से अथवा स्पष्टता के साथ परमेश्वर को निमन्त्रण देता था कि अगर वह झूठ बोले तो परमेश्वर उसे शाप दे। निर्गमन के इस पद के अतिरिक्त व्यवस्थाविवरण 27:15-26 में "आमीन" कहने के द्वारा इस्राएली स्वयं पर जिन शापों की घोषणा करते थे ये गिनती 5 में कहे गए शाप के प्रति उस स्त्री के द्वारा "आमीन" कहने की कुछ समानता के साथ है।

निर्गमन 22 में दिए गए नियम और गिनती 5 में दिए गए नियम के मध्य प्राथमिक अन्तर यह है कि बाद की आयत में "कड़ुवा जल" पी लिया जाता था। इस मामले में स्त्री के द्वारा "कड़ुवा जल" पीने और निर्गमन 32 में पाए जाने वाले अवसर में जहाँ पर मूसा ने लोगों के बनाए हुए सोने के बछड़े को लेकर आग में डाल कर फूँक दिया और पीसकर चूर चूर कर डाला, और जल के ऊपर फेंक दिया, और इस्राएलियों को उसे पिलवा दिया (निर्गमन 32:20), इसके मध्य एक समान अन्तर देखा जा सकता है। उस जल का उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया पर ऐसा हो सकता है कि लगाए गए दोष की गम्भीरता को प्रस्तुत करने के लिए यह हो।

आयतें 27, 28. जब स्त्री ने शपथ ले ली और "कड़वा जल" पी लिया तब इसके बाद निर्णय स्पष्ट हो जाता था। अगर स्त्री ने वास्तव में व्यभिचार किया हो तो उस मामले में **वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो** जाता था। उसके दोष के परिणामस्वरूप **उसका पेट फूल जाता था और उसकी**

जाँघ सड़ जाती थी।

ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया कि दोषी स्त्री को मृत्युदण्ड दिया जाता था या उसे तलाक दे दिया जाता था। जहाँ तक इस पाठ्य की बात है, वह अपने पति के साथ रहने के लिए चली जाती थी; परन्तु उसे कठोर दण्ड दिया जाता था। "पेट" और "जाँघ" शिष्ट भाषा के साथ किसी स्त्री के प्रजनक अंगों की ओर संकेत करते हैं। हालांकि इन शब्दों में बताई गई शारीरिक स्थिति अथवा बीमारी की पहचान करने के प्रयास किए गए हैं परन्तु यहाँ पर सबसे उत्तम व्याख्या यह है कि 27 आयत में अलंकारों का प्रयोग किया गया है। सम्भावित रूप से अगर स्त्री अपने अनुचित सम्बन्धों के कारण गर्भवती हो जाती है तो उसका गर्भ गिर जाएगा[4]और वह आगे निःसंतान ही रहेगी। वह अपने **लोगों के बीच शापित हो** जाती थी क्योंकि उन दिनों में किसी स्त्री के द्वारा सन्तान उत्पन्न नहीं कर पाना सबसे बुरी बात थी। अगर बाँझपन या गर्भ गिरना दण्ड होता तो हो सकता था कि कुछ समय के लिए स्त्री का दोष प्रकट नहीं हो। हालांकि पाठ्य यह नहीं कहता कि उसका दण्ड किस समय सबके सामने प्रकट होता था परन्तु यह एक तुरन्त के न्याय के बारे में अवश्य सुझाता है।[5]

यहूदी टीकाकारों ने इशारा दिया कि दोषी स्त्री को अपने पाप के लिए अपने शरीर के उन भागों में परिणाम भुगतने पड़ते थे जो पाप में शामिल थे।[6] यह विवरण सम्भावित लगता है क्योंकि निर्दोष होने का साक्ष्य (अथवा प्रतिफल) - कि जिस पर दोष लगाया गया वह अगर **अशुद्ध न हुई हो** और **शुद्ध ही हो** - यह था कि वह स्त्री **निर्दोष ठहरती थी और गर्भिणी हो सकती थी**।

आयतें 29-31. जलन का नियम एक संक्षिप्त कथन के साथ बार बार यह कहते हुए समाप्त होता है कि **जलन की व्यवस्था** यह बताती थी कि एक पति द्वारा अपनी पत्नी के विश्वासघाती होने के सन्देह के प्रति क्या करना चाहिए। उस पुरुष को यह करना होता था कि वह **उस** स्त्री को **यहोवा के सम्मुख खड़ा कर दे** जिससे **याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे**। उसे यह निश्चय होता था कि अगर वह स्त्री दोष में पायी जाएगी तो वह **अधर्म से बचा रहेगा, और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी**। अन्य शब्दों में उस पुरुष पर यह दोष नहीं लगाया जाए कि उसने अपनी दोषी पत्नी को इस प्रकार की कठिन परीक्षा के लिए सौंप दिया; आखिरकार वह ही एक ऐसी है जिसने व्यभिचार किया था। दोषी स्त्री का उसके पति से अन्तर किया जाता था जो उसे इस कठिन परीक्षा के लिए देने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। सम्भावित रूप से यह पद उस पुरुष के लिए भी लागू होता है जिसने अपनी निर्दोष पत्नी को इस विधि के लिए सौंपा: अपनी पत्नी को परीक्षा के लिए सौंपने के लिए उसे दोषी के रूप में नहीं देखा जाना था। फिर भी पाठ्य में दी गई सूचना के आधार पर पति को अपनी दोषी पत्नी को वापस अपने साथ लेकर जाना होता था। ऐसा करने के लिए हो सकता है कि कोई उसकी आलोचना करना चाहे क्योंकि व्यभिचार एक मृत्यदण्ड पाने का अपराध था; परन्तु व्यवस्था ऐसा कहती थी कि ऐसा करने के लिए उसे दोषी नहीं माना जाए।

क्या दोषी होने या निर्दोष होने की यह परख स्त्री के गौरव को कम करती

थी? अन्ततः व्यवस्था किसी पत्नी के लिए ऐसा कोई प्रबन्ध शामिल नहीं करती कि अगर वह अपने पति के व्यभिचारी होने पर सन्देह करे तो उसे “यहोवा के आगे” ला सके। साथ ही बताई गई प्रक्रिया के अनुसार जनसाधारण के आगे नीचा किए जाने के लिए एक निर्दोष स्त्री को सौंपने की सम्भावना भयंकर लगती है। फिर भी पुरुष प्रधान समाज में कोई ऐसे नियमों की अपेक्षा नहीं करेगा कि स्त्री के दृष्टिकोण से इस प्रकार की स्थिति को सम्बोधित किया जाए। व्यवस्था में ऐसा देखने को मिलता है कि अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए पुरुष के पास अधिकार था परन्तु स्त्रियों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि वे अपने पतियों को तलाक दे सकें। इस मत के लिए साक्ष्य का एक भाग इस सच में देखने को मिलता है कि पुराना नियम “त्यागी हुई स्त्री” के बारे में बताता है परन्तु “त्यागे गए पुरुष” के बारे में कुछ नहीं कहता (देखें 30:9; लैव्य. 21:7, 14; 22:13)।

इसी के साथ यह व्यवस्था स्त्री के लिए कोई भी सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाती। जब व्यवस्था एक दोषी पत्नी को दण्ड देती है वहीं पर यह निर्दोष पत्नी की सुरक्षा यह निश्चित करते हुए करती है कि उसे तलाक नहीं दिया जाए, अपंग नहीं बनाया जाए या उसके प्रति हिंसक रहने वाले, बदला लेने वाले पति के द्वारा मार डाली जाए जो बिना कारण उसकी विश्वासयोग्यता पर सन्देह कर रहा था। इसके अतिरिक्त उसकी पवित्रता के लिए इस आश्वासन के साथ उसे प्रतिफल मिलता था कि वह बच्चों को जन्म दे सकती थी। इस प्रकार की प्रक्रिया के चरणों का जनसाधारण स्वभाव पति के साथ-साथ उसकी पत्नी के लिए भी परेशानी का कारण रहती होगी; इस सच्चाई के साथ ही आवश्यक बलि एक पति को रोके रखने का कारण रहती होगी जिससे वह अपने व्यक्तिगत सन्देहों को जनसाधारण के सम्मुख नहीं लाए या किसी झूठे दोष के माध्यम से अपनी पत्नी को छोड़ने का प्रयास नहीं करे। जिस प्रकार परीक्षा का जनसाधारण स्वभाव पुरुष को रोक कर रखता होगा जिससे वह अपनी पत्नी पर तुच्छ दोष न लगाए, इसी प्रकार इस प्रकार के अनुभव से होकर जाने की सम्भावना उसकी पत्नी को प्रेरित करती थी कि वह जनसाधारण के द्वारा नीचा किए जाने के स्थान पर विश्वासयोग्य बनी रहे अथवा - अगर वह विश्वासघाती बन गई - तो अपने पति के सम्मुख अपने पाप को मान ले (और उसे तलाक दे दिया जाए)। विवाह में विश्वासयोग्यता पर डाला गया प्रभाव घर को और वैवाहिक सम्बन्ध को बल देता है जिससे स्त्री के साथ-साथ पुरुष को भी लाभ प्राप्त हो।

इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य स्पष्ट है: परमेश्वर के पवित्र लोगों के मध्य व्यभिचार के सन्देह को सहना नहीं चाहिए। परमेश्वर सातवीं आज्ञा के महत्व को पुनः प्रमाणित कर रहा था: “तू व्यभिचार न करना” (निर्गमन 20:14)।

अनुप्रयोग

शुद्धता के विषय में (अध्याय 5)

गिनती 5 आज के मसीहियों के लिये कई बातों को बताती है। आइए उनमें से

चार पर विचार करें।

1. *शुद्धता की आवश्यकता।* आज परमेश्वर की कलीसिया अर्थात् परमेश्वर के "पवित्र समाज" और इसके व्यक्तिगत सदस्यों के लिये शुद्धता महत्वपूर्ण है (1 पतरस 2:9; देखें 1 कुरि. 5:6-8; 1 तीमु. 5:22; याकूब 1:27)।

2. *मृत्यु की अशुद्धता.* परमेश्वर जीवन का परमेश्वर है। उसकी पवित्रता में, न तो वह और न ही उसके लोग मृत्यु की उपस्थिति में रह सकते हैं। बाइबल में हर जगह, मृत्यु को अभिशाप के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जो एक या दूसरी ओर से पाप से जुड़ा हुआ होता है। मसीही अपने पाप के कारण पहले मरे हुए थे परन्तु सुसमाचार की आज्ञाकारिता के द्वारा मसीह के लहू से जिलाए गए (इफि. 2:1, 2; रोम. 6:3-6)। उस बिंदु से, परमेश्वर के लोग होने पर, मसीहियों को पाप की अशुद्धता और इसके परिणाम अर्थात् मृत्यु से बचना चाहिए (रोम. 6:23)।

3. *वैवाहिक निष्ठा का महत्व.* पतियों और पत्नियों को व्यभिचार न करने की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और इसके अधिक, जबकि कुदृष्टि रखना भी मना है (मत्ती 5:28)।

4. *संदेह की अपर्याप्तता.* अपने पति के संदेह के कारण किसी स्त्री को व्यभिचार की दोषी नहीं माना जाना था। उसे दण्डित करने से पहले उसका अपराध सिद्ध किया जाना था। कभी-कभी हम मानते हैं कि गलत कार्य करने का संदेह एक कथित पापी को "दोषी" ठहराने के लिये पर्याप्त होता है। मसीही होने के नाते, पुराने और नए नियमों दोनों में बाइबल के सिद्धान्तों पर चलते हुए, हमें हमेशा दूसरों को संदेह का लाभ देना चाहिए। हम दोषी साबित होने तक गलत तरीके से किसी मनुष्य को निर्दोष ठहराने का आरोप लगाए जाने पर विचार करेंगे।

क्या शुद्धता से भक्ति उत्पन्न होती है? (5:1-4)

शुद्ध किए जाने की रीति को पूरा करने के लिये जल से धोने का पुराना नियम का अभ्यास आज लोगों को विश्वास करने में अगुवाई कर सकता है कि परमेश्वर शारीरिक स्वच्छता महत्वपूर्ण जानता है। अवश्य ही, कुछ लोगों ने जोर देकर कहा है कि व्यवस्था में ऐसे विधियों का उद्देश्य परमेश्वर के लोगों को स्वस्थ रखना था। परन्तु, "शुद्धता से भक्ति उत्पन्न होती है" कहने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि पुराने नियम में धोने की विधि का उद्देश्य *रीति की शुद्धता* को उत्पन्न करना था; शरीर की सफाई, बड़े पैमाने पर प्रक्रिया का एक रूप था। इसके अलावा, इस तरह की सभी शुद्धता व्यवस्था के हिस्से थे परन्तु नई वाचा के नहीं हैं। मसीही होने के नाते, हम शुद्धता के पुराने नियम के नियमों के अधीन नहीं हैं परन्तु हमें यहूदी खाने पीने की नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। शुद्ध होने के लिये धोना महत्वपूर्ण है, परन्तु परमेश्वर मसीहियों को धोने औपचारिक विधि में भाग लेने की माँग नहीं करता है।

समाप्ति नोट्स

[1]अशुद्ध लोगों को छावनी से बाहर करना (समाज से अलग करना) साफ़ सफ़ाई के बिन्दु से भी सही था जिससे बीमारी को फ़ैलने से रोका जा सके. [2]इनमें से कुछ समान अन्तरों का विवरण गॉर्डन जे. वेनहैम, *गिनती*, द टिंडेल ओल्ड टेस्टामेंट कमेंट्रीज (डाउनर्स ग्रोव, इलनॉयसः इंटर-वर्सिटी प्रेस, 1981), 80 में दिया हुआ है; रोनॉल्ड बी. एल्लन, "गिनती," *एक्सपोजीटर्स बाइबल कमेंट्री*, वॉल्यूम 2, *उत्पत्ति-गिनती*, संपादक फ्रैंक ई. गैबलीन (ग्रैंड रैपिड्स, मिशीगनः जॉडरवैन पब्लिशिंग हाऊस, 1990), 743. [3]जेम्स बर्टन कॉफमैन, *कमेंट्री आन लैव्यव्यवस्था एण्ड गिनती: द थर्ड एण्ड फोर्थ बुक्स आफ मोजेज* (एबीलीन, टेक्ससः ए.सी.यू. प्रेस, 1987), 306-8. [4]एल्लन, 746. [5]जुलियस एच. ग्रीनस्टोन, *गिनती*, द होली स्क्रिपचर्स विद कमेन्ट्री (फ़िलाडेल्फ़िया: जूइश पब्लिकेशन सोसाइटी ऑफ़ अमेरिका, 1939), 48. [6]उपरोक्त, 53.